रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 18, 2008/श्रावण 27, 1930
No. 451] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 18, 2008/SRAVANA 27, 1930

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2008

सा.का.नि. 600(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) सातवां संशोधन नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में,—

अनुसूची 1 में, क्रम सं. 100 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	उद्योग	पैरामीटर		मानक	
1	2	3		4	
"101	"पीड़कनाशी उद्योग के लिए भस्मीकरण संयंत्र	क. उत्सर्जन		जब तक उल्लिखित न हो, सांद्रण का सीमा मान मि.ग्रा./नार्मल मन मी. में	जब तक उल्लिखित न हो, (मिनटों) में सैम्पलिंग अवधि
		विविक्त पदार्थ		50	30
		HCl		50	30
		SO_2		200	30
		CO		100	दैनिक औसत
		कुल जैविक कार्बन		20	30
		कुल डायक्सीन एवं फ्यूरॉन्स	* मौजूदा भस्मीकरण संयंत्र	0.2 $ng/TEQ/Nm^3$*	8 घंटे
			नए भस्मीकरण संयंत्र	0.1 $ng/TEQ/Nm^3$	8 घंटे
		Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + उनके यौगिक		1.5	2 घंटे

*विद्यमान संयंत्र, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के दौरान डायक्सीन्स एवं फ्यूरान्स के लिए 0.1 $ng/TEQ/Nm^3$ मानदंड का अनुपालन करेंगे।

1	2	3	4

टिप्पण :

I. सभी मानीटर किए गए मानों को 11% ऑक्सीजन के अनुसार शुष्क आधार पर ठीक किया जाए ।

II. उत्सर्जित गैस में CO_2 की सांद्रणता 7% से कम नहीं होगी ।

III. यदि अपशिष्ट में हेलोजिनेट आरगेनिक अपशिष्ट वज़न में 1 प्रतिशत से कम होने पर एकल चैम्बर भष्मीकरण संयंत्र की सभी सुविधाओं को 1100°C के न्यूनतम तापमान को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया जाएगा फ्लूयडाइजड बैड टेक्नालाजी भष्मीकरण संयंत्र में तापमान 950° C तक बनाए रखा जाएगा ।

IV. यदि अपशिष्ट में भष्मीकरण संयंत्र में भष्मीकरण हेतु हेलोजिनेटिड आरगेनिक अपशिष्ट, वज़न में 1 % से अधिक होने पर केवल ट्विन चेम्बर भष्मीकरण संयंत्र में भष्मीकरण किया जाएगा तथा सेकण्ड्री कम्बशन चेम्बर में 1100°C का न्यूनतम तापमान प्राप्त करने के लिए सभी सुविधाएं डिजाइन की जाएंगी जिसके साथ सेकेन्डरी कम्बशन चेम्बर में गैस अवरोधक समय दो सेकेण्ड से कम नहीं रहेगी ।

V. उत्सर्जन मार्जन के लिए जो मार्जक हैं उनका उपयोग क्वेन्चर के रूप में नहीं किया जाएगा ।

VI. भष्मीकरण संयंत्रों (कम्बशन चैम्बर्स) को ऐसे तापमान, अवरोधन समय और उथल-पुथल के साथ चलाया जाएगा ताकि अपशिष्ट और भष्मीकरण राख में कुल ऑर्गेनिक कार्बन (TOC) यौगिक 3 % से कम हो अथवा इसके भष्मीकरण क्षय की मात्रा शुष्क आधार पर 5% से कम हो ।

VII. इन्सिनरेटर्स के साथ चिमनी की न्यूनतम ऊँचाई तीस मीटर अवश्य रहेगी ।

ख. अपजल

i अपजल (मार्जक जल और तल धुलाई) का पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूची VI: पर्यावरण प्रदूषणों के बहिःस्राव के लिए सामान्य मानक (भाग क: बहिःस्राव) के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार ग्राही जल में बहिःस्राव किया जाएगा ।

ii तल धुलाई के अपजल में कुल विघटित ठोस (TDS), अपरिष्कृत जल में विद्यमान कुल विघटित ठोस की मात्रा से 1000 मि0ग्रा0/लिटर से अधिक नहीं होंगे ।"

[फा. सं. क्यू-15017/25/2007-सीपीडब्ल्यू]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :— मूल नियम, भारत के राजपत्र में सं.का.आ.844 (अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन सं.का.आ.433 (अ), तारीख 18 अप्रैल,1987, सं.का.आ. 64 (अ), तारीख 18 जनवरी, 1988, सं.का.आ. 3 (अ), तारीख 3 जनवरी, 1989, सं.का.आ.190 (अ), तारीख 15 मार्च,1989, सा.का.नि.913 (अ), तारीख 24 अक्टूबर, 1989, सं.का.आ.12 (अ), तारीख 8 जनवरी, 1990, सा.का.नि. 742 (अ), 30 अगस्त 1990, सं.का.आ. 23 (अ), तारीख 16 जनवरी 1991, सा.का.नि.93 (अ), तारीख 21 फरवरी, 1991, सा.का.नि.95 (अ) , तारीख 12 फरवरी, 1992, सा.का.नि.329 (अ), तारीख 13 मार्च, 1992, सा.का.नि.475 (अ), तारीख 5 मई, 1992, सा.का.नि.797 (अ), तारीख 1 अक्टूबर,1992 सा.का.नि. 386 (अ), तारीख 28 अप्रैल 1993, सा.का.नि. 422 (अ), तारीख 19 मई, 1993, सा.का.नि., 801 (अ), तारीख 31 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि.176 (अ), तारीख 3 अप्रैल, 1996, सा.का.नि., 631 (अ), तारीख 31 अक्टूबर, 1997, सा.का.नि., 504 (अ), तारीख 20 अगस्त, 1998, सा.का.नि., 7 (अ), तारीख 2 जनवरी,1999, सा.का.नि., 682 (अ), तारीख 5 अक्टूबर 1999, सा.का.नि. 742 (अ), तारीख 25, सितम्बर, 2000, सा.का.नि.72 (अ), तारीख 6 फरवरी,2001, सा.का.नि.54 (अ), तारीख 22 जनवरी, 2002, सा.का.नि. 371 (अ), तारीख 17 मई, 2002, सा.का.नि.489 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2002 सं.का.आ.1088 (अ), तारीख 11 अक्टूबर 2002 और सा.का.नि.849 (अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2002, सा.का.नि., 520 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2003, सा.का.नि.92 (अ), तारीख 29 जनवरी, 2004, सा.का.नि.448 (अ), तारीख 12 जुलाई, 2004, शुद्धिपत्र सा.का.नि., 520 (अ), तारीख 12 अगस्त, 2004, सा.का.नि. 272 (अ), तारीख 5 मई, 2005, सा.का.नि.315 (अ), तारीख 16 मई, 2005, सा.का.नि.546 (अ), तारीख 30 अगस्त, 2005, सा.का.नि.46 (अ), तारीख 3 फरवरी, 2006, सा.का.नि.464 (अ), तारीख 7 अगस्त, 2006 और सा.का.नि.566 (अ), तारीख 29 अगस्त, 2007 और सा.का.नि.704 (अ), तारीख 12 नवम्बर, 2007 सा.का.नि.186 (अ), तारीख 18 मार्च, 2008 सा.का.नि.280 (अ), तारीख 11 अप्रैल, 2008, सा.का.नि. 344 (अ),तारीख 7 मई, 2008 सा.का.नि. (अ), सा.का.नि. 414 (अ) तारीख 30 मई, 2008, सा.का.नि. 481 (अ) तारीख 26 जून, 2008 और सा.का.नि. 579(अ), तारीख 6 अगस्त, 2008 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2008

G.S.R. 600(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes

the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Seventh Amendment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986,-

In Schedule I, after serial number 100 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :-

S. No	Industry	Parameter		Standard	
1	2	3		4	
"101	Incinerator for Pesticide Industry	**A. Emission**			
				Limiting concentration in mg/Nm3, unless stated	Sampling Duration in (minutes) unless stated
		Particulate Matter		50	30
		HCL		50	30
		SO_2		200	30
		CO		100	daily average
		Total Organic Carbon		20	30
		Total Dioxins and Furans *	Existing Incinerator	0.2 ngTEQ/Nm^3	8 hours
			New Incinerator	0.1 ngTEQ/Nm^3	8 hours
		Sb +As + Pb + Cr + Co +Cu +Mn + Ni + V + their compounds		1.5	2 hours
		* The existing plant shall comply with norms for dioxins and furans as 0.1 ng/TEQ/Nm^3 within a period of five years from the date of publication of this notification.			

1	2	3	4
		Notes : i. All monitored values shall be corrected to 11% oxygen on dry basis. ii. The CO_2 concentration in tail gas shall not be less than 7%. iii. In case, halogenated organic waste is less than 1% by weight in input waste, all the facilities in single chamber incinerators shall be designed so as to achieve a minimum temperature of 1100°C, in the incinerator. For fluidized bed technology Incinerator, temperature shall be maintained at 950°C. iv. In case halogenated organic waste is more than 1% by weight in input waste, waste shall be incinerated only in twin chamber incinerators and all the facilities shall be designed to achieve a minimum temperature of 1100°C in secondary combustion chamber with a gas residence time in secondary combustion chamber not less than two seconds. v. Scrubber meant for scrubbing emissions shall not be used as quencher. vi. Incineration plants shall be operated (combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the slag and bottom ashes less than 3%, and their loss on ignition is less than 5% of the dry weight. vii. The incinerators shall have a chimney of atleast thirty metre height.	
		B. Wastewater	
		i. Wastewater (scrubber water and floor washings) shall be discharged into receiving water conforming to the norms prescribed under Schedule VI: General Standards for Discharge of Environment Pollutions (Part A: Effluents) notified under the Environment (Protection) Rules, 1986. ii. The built up in Total Dissolved Solids (TDS) in wastewater of floor washings shall not exceed 1000 mg/l over and above the TDS of raw water used.	

3115 GI/08—2

[F. No. Q-15017/25/2007-CPW]

R. K. VAISH, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E) 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O. 433 (E) dated 18th April, 1987, S.O. 64 (E) dated 18th January, 1988, S.O. 3 (E) dated 3rd January, 1989, S.O. 190 (E) dated 15th March, 1989, G.S.R. 913 (E) dated the 24th October, 1989, S.O. 12 (E) dated the 8th January, 1990, G.S.R. 742 (E) dated the 30th August, 1990, S.O. 23 (E) dated the 16th January, 1991, G.S.R. 93 (E) dated the 21st February, 1991 G.S.R. 95 (E) dated the 12th February, 1992, G.S.R. 329 (E) dated the 13th March, 1992, G.S.R. 475 (E) dated the 5th May, 1992 G.S.R. 797 (E) dated the 1st October, 1992, G.S.R. 386 (E) dated the 28th April, 1993, G.S.R. 422 (e) dated the 19TH May, 1993, G.S.R. 801 (E) dated the 31st December, 1993, G.S.R. 176 (E) dated the 3rd April, 1996, G.S.R. 631 (E) dated the 31st October, 1997, G.S.R. 504 (E) dated the 20th August, 1998, G.S.R. 7 (E) dated the 2nd January, 1999, G.S.R. 682 (E) dated the 5th October, 1999, G.S.R. 742 (E) dated the 25th September, 2000, G.S.R. 72 (E) dated the 6th February, 2001, G.S.R. 54 (E) dated the 22nd January, 2002, G.S.R. 371 (E) dated the 17th May, 2002, G.S.R. 489 (E) dated the 9th July, 2002, S.O. 1088 (E) dated the 11th October, 2002 and G.S.R. 849 (E) dated the 30th December, 2002, G.S.R. 520 (E) dated 1st July, 2003, G.S.R. 92 (E) dated 29th January, 2004, G.S.R. 448 (E) dated 12th July, 2004, Corrigenda G.S.R. 520 (E) dated 12th August, 2004, G.S.R. 272 (E) dated 5th May, 2005, G.S.R. 315 (E) dated 16th May, 2005, G.S.R. 546 (E) dated 30th August, 2005, G.S.R. 46 (E) dated 3rd February, 2006, G.S.R. 464 (E) dated 7th August, 2006 and G.S.R. 566 (E) dated 29th August, 2007 and G.S.R. 704 (E) dated 12th November, 2007, G.S.R. 186 (E) dated 18th March, 2008, G.S.R. 280 (E) dated 11th April, 2008, G.S.R. 344 (E) dated 7th May, 2008, G.S.R. 414 (E) dated 30th May, 2008, G.S.R. 481 (E) dated 26th June, 2008 and G.S.R. 579(E) dated 6th August 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.